फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जितेन्द्र ओझा पिता नरेन्द्र कुमार ओझा निवासी 18, भेरडा रोड, चंदेरिया, तह0 व जिला चितौडगढ़
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ़

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 46/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 17.10.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा जरिये क्रमांकः उपदे/सूचना/2019/98–99 दिनांक 15.10.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार सूचना का अधिकार 2005 की धारा 19(1) के अर्न्तगत अपीलार्थी श्री जितेन्द्र ओझा पिता नरेन्द्र कुमार ओझा चन्देरीया द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर मौजा ग्राम ईशरमण्ड तहसील देवगढ के पुराना आ0न0 548 के संबंध मे बिन्दु सं 01 से 04 तक की सुचना चाही गई है। ओफिस कानुनगो कार्यालय हाजा की रिपोर्ट अनुसार बिन्दु सं. 04 मिलान क्षैत्रफल से संबंधित चाही गई सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही होने से अपीलार्थी को उपलब्ध नही करवाई जाकर बिन्दु सं0 01 से 03 तक की सूचना निःशुल्क तैयार की जाकर जरीये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को भिजवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ के द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु सं0 01 से 03 की वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जा चुकि है एवं बिन्दु सं0 04 की सूचना तहसील कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध नही होने से अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर)राजसमन्द	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)